न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–0744–2325871

GCMS NO.-2024/265

मिसल नम्बर– 82 / 2024

1. चन्द्रप्रकाश गेरा पुत्र श्री ओमप्रकाश गेरा आयु 61 वर्ष
2. कविता गेरा पत्नी श्री चन्द्रप्रकाश गेरा आयु 62 वर्ष

प्रार्थीगण।

बनाम

1. अमित गेरा पुत्र चन्द्रप्रकाश गेरा आयु 36 वर्ष
2. कृति गेरा पत्नी अमित गेरा आयु 33 वर्ष पुत्र घनश्याम दास
3. सुमित गेरा पुत्र चन्द्रप्रकाश गेरा आयु 32 वर्ष
4. प्रिया गेरा पत्नी सुमित गेरा आयु 27 वर्ष

निवासी ट्राफिक पुलिस के ऑफिस के पीछे, छोगा की बावड़ी मकान नं0 123, लाड़पुरा जिला कोटा राज0

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 19/5/25

उपस्थितिः–

1.श्री मो0 आरिफ प्रार्थी अधिवक्ता।

2.श्री राघवेन्द्र नागर अप्रार्थी 1 अधिवक्ता

3.श्री जमील अहमद, श्री रियाज अहमद अप्रार्थी 2 अधिवक्ता

4.श्री अमर सिंह नारूका अप्रार्थी 3 व 4 अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिश्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का स्वअर्जित सम्पति का एक मकान वाके ट्राफिक पुलिस ऑफिस के पीछे, छोगा की बावड़ी मकान नं0 123 लाडपुरा जिला कोटा राज0 में स्थित है। प्रार्थीगण वरिष्ठ नागरिक है तथा शान्तिपूर्वक तरीके से निवास करते चले आ रहे है। प्रार्थी के दो पुत्र जिनमें 1 अमित गेरा तथा सुमित गेरा तथा एक पुत्री है जिसका नाम कंचन गेरा है। पुत्री कंचन गेरा का विवाह हो चुका है जो कि अपने ससुराल में वैवाहिक जीवन जी रही है। प्रार्थीगण के द्वारा अपने दोनों पुत्रों अमित गेरा एवं सुमित गेरा की परवरीश अच्छी प्रकार से की तथा उनकी पढ़ाई–लिखाई से लेकर दोनों का विवाह कर एक जिम्मेदार माता पिता के सभी कर्त्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन कर अपनी समस्त जिम्मेदारियों को पूरा किया जा चुका है। अप्रार्थी नं0 1 अमित गेरा का विवाह अप्रार्थिया नं0 2 कृति गेरा के साथ दिनांक 23.01.2011 को विधि विधान के साथ सम्पन्न हुआ तथा दोनों के संसर्ग से एक पुत्र चिराग गेरा है इस प्रकार अप्रार्थी नं0 1 व 2 अपने पुत्र के साथ प्रार्थीगण के उक्त मकान के ग्राउण्ड फलोर में निर्मित एक कमरे में निवास कर रहे है तथा अप्रार्थी नं0 3 का विवाह अप्रार्थीया नं0 4 से होने के पश्चात वह भी उक्त मकान में निर्मित एक कमरे में निवास कर रहे है। प्रार्थीगण अपनी वृद्धावस्था में है तथा वरिष्ठ नागरिक है तथा प्रार्थीगण के द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
को

अप्रार्थीगण को अपने उक्त मकान में पिता पुत्र व पुत्र वधू होने के नाते इसलिये निवास करने दिया कि प्रार्थीगण के वृद्धावस्था में अप्रार्थीगण इनकी सेवा अर्चना कर शांतिपूर्वक सुखी जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन अप्रार्थी नं0 1 व 2 के आपसी विचारों में मतभेद होने के कारण अप्रार्थी नं0 1 व 2 हमेशा लड़ाई झगड़ा करते है प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 को कई बार समझाया लेकिन अप्रार्थीगण 1 व 2 के व्यवहार व आचरण में किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं आया। अप्रार्थीगण नं0 2 के द्वारा प्रार्थीगण को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करने की गरज से अप्रार्थी नं0 2 के द्वारा अप्रार्थी नं0 1 के साथ प्रार्थीगण के उपर दहेज प्रताडना तथा घरेलू हिंसा का झूंठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है जिसमें अप्रार्थी नं0 2 के द्वारा अपने पति अप्रार्थी नं0 1 के साथ मिलकर प्रार्थीगण को जबरन पक्षकार बनाकर अनावश्यक रूप से कानूनी कार्यवाहियों में लिप्त कर प्रार्थीगण को शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है तथा प्रार्थीगण को स्वयं के मकान से बाहर निकालने पर आमादा है। प्रार्थीगण ने कई बार अप्रार्थीगण को उक्त मकान से कहीं ओर रहने की बात कही तो अप्रार्थी नं0 2 के द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध असत्य तथ्यों के आधार पर पुलिस थाना रामपुरा कोतवाली कोटा में झूंठी शिकायतें कर प्रार्थीगण को वृद्धावस्था में धारा 107, 116 (3) जाप्ता फौददारी के तहत कार्यवाही की गयी है। जिसके कारण प्रार्थीगण काफी शारीरिक एवं मानसिक संताप में है तथा जाति समाज व मोहल्ले में भी प्रार्थीगण की छवि धूमिल हो चुकी है। अप्रार्थी नं0 1 व 2 के द्वारा आपसी मिलीभगत करके प्रार्थीगण को उक्त मकान जो प्रार्थीगण की स्वयं की स्वअर्जित सम्पत्ति का है, से बाहर निकालने पर आमादा है इनके इस कृत्य में अप्रार्थी नं0 2 व 3 भी शामिल है जो मौन रहकर अप्रार्थी नं0 1 व 2 का सहयोग करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण के साथ आये दिन लड़ाई झगड़ा व मारपीट करते है जिसके कारण प्रार्थीगण का अपने ही घर में रहना मुश्किल हो गया है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की किसी भी प्रकार की कोई देखभाल, सेवा सुश्रुषा नहीं करते है तथा ना ही प्रार्थीगण की बीमारी हालत में भी कोई सहयोग, सेवा सुश्रुषा नहीं करते है, गाली गलौच व लड़ाई झगड़ा करते है तथा प्रार्थीगण को वृद्धावस्था में झूठे मुकदमें में फंसाकर जेल भेजने की धमकियां देते है। प्रार्थीगण को उक्त व्यवहार व आचरण से प्रार्थीया नं0 2 काफी मानसिक संताप में होने के कारण अक्सर बीमार रहती है जिनका ईलाज चल रहा है तथा प्रार्थीगण को ऐसी अवस्था में अपने ही घर से बाहर निकलने का खतरा अप्रार्थीगण से बना हुआ है। अप्रार्थी नं0 1 व 2 के बूरे व्यवहार के कारण प्रार्थी नं0 1 के द्वारा अप्रार्थी नं0 1 को दिनांक 03.06.2022 को अपने उक्त स्वअर्जित मकान से बेदखल करने बाबत एक तहरीर भी आलेखित करवायी गयी तथा इनके बूरे व्यवहार से परेशान होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से उक्त तहरीर प्रेषित करवाया गया कि अप्रार्थी नं0 1 व 2 प्रार्थीगण के उक्त मकान से निकल जावें लेकिन अप्रार्थी नं0 1 व 2 के द्वारा उक्त तहरीर प्राप्त करने के पश्चात प्रार्थीगण के साथ लडाई झगड़ा गाली गलोच कर प्रार्थीगण को ही उक्त मकान से बाहर निकालने पर आमादा हो गये है। इनके उक्त कृत्य में अप्रार्थी नं0 3 व 4 की भी मौन स्वीकृति रहती है। अप्रार्थीगण अपनी वृद्धावस्था में है तथा बीमार रहते है जो कि बड़ी मुश्किल से अपने जीवन के बाकी दिन गुजार रहे है। अप्रार्थीगण जो कि प्रार्थीगण के बेटे एवं पुत्रवधू है जिनके द्वारा इस वृद्धावस्था में प्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का कोई सेवा अर्चना, मान सत्कार देखरेख नहीं की जाती है। प्रार्थीगण अपना भोजन व दैनिक कार्य स्वयं करते है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का कोई कार्य भी नहीं किया जाता है तथा प्रार्थीगण को स्वयं के निजी मकान से बाहर निकालने पर आमादा है जो कि विधि के अनुरूप है। जबकि प्रार्थीगण के द्वारा अपने माता पिता होने के सभी कर्त्तव्य व दायित्वों का निर्वहन किया जा चुका है प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से अपनी जान व माल का भी गम्भीर खतरा बना हुआ है। अतः परिवाद पत्र पेश कर

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के मकान ट्राफिक पुलिस के ऑफिस के पीछे, छोगा की बावडी मकान नं0 123 लाडपुरा जिला कोटा राज0 से अप्रार्थीगण को बेदखल किये जाने का आदेश प्रदान करे तथा प्रार्थीगण को भरण पोषण एवं चिकित्सा व्यय भी अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण को दिलाया जाये के आदेश प्रदान करे तथा प्रार्थीगण की जान माल की सुरक्षा भी करवाई जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थी 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी नं0 1 व अन्य अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया है जिसमें प्रार्थीगण के द्वारा विशेषतः अप्रार्थी नं0 1 व अन्य अप्रार्थीगण को स्वयं के स्वअर्जित मकान से बेदखल करने की प्रार्थना माननीय न्यायालय से की गयी है। अप्रार्थी नं0 1 प्रार्थीगण का सबसे बड़ा पुत्र है, तथा वर्तमान में अपनी पत्नी कृति गेरा जो अप्रार्थी नं0 2 है तथा अपने पुत्र के साथ प्रार्थीगण के मकान में ग्राउण्ड फलोर में निर्मित अपने पोर्शन में रह रहा है तथा अपनी पत्नी व पुत्र का भरण पोषण कर अपना गुजर बसर कर रहा है। अप्रार्थी नं0 1 के उपर अप्रार्थीया नं0 2 के द्वारा असत्य तथ्यों के आधार पर अदालतों एवं थानो में झूंठी कार्यवाहियां कर मुकदमेबाजी कर रखी है। जिसके चलते परिवार के सदस्य होने के नाते प्रार्थीगण को भी उक्त मुकदमेबाजी में आना–जाना पड़ता है जिसके लिये कई बार अप्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीया नं0 2 को समझाईश की गयी लेकिन अप्रार्थीया नं0 2 के जिद्दी स्वभाव के कारण गृह क्लेश बढ़ जाता है जिसके कारण परिवार में अशांति उत्पन्न होती है। अप्रार्थी नं0 1 के द्वारा कभी भी ऐसा कोई कार्य स्वयं जानबूझकर नहीं किया गया जिससे कि प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की कोई ठेस या परेशानी उत्पन्न हुई हों। अप्रार्थी नं0 1 प्रार्थी नं0 1 की दुकान में मासिक वेतन पर कार्य करता है, जिससे अप्रार्थी नं0 1 अपने परिवार की आजीविका चलाता है तथा परिवार सहित प्रार्थीगण के स्वअर्जित सम्पत्ति के मकान के ग्राण्ड फलोर में प्रार्थीगण की इच्छानुसार ही निवास करता चला आ रहा है इसके अलावा अप्रार्थी नं0 1 के पास अलग रहने के लिये किसी भी प्रकार का कोई पर्याप्त परिसर अथवा मकान नहीं है। जिसके चलते अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल कर दिया जाता है तो अप्रार्थीगण एवं परिवारजन के समक्ष अनैक परेशानियों का सामान करना पड़ सकता है। जो विधि अनुरूप नहीं होगा।

अप्रार्थी 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का यह कहना है कि स्वअर्जित सम्पत्ति है जबकि उक्त सम्पत्ति प्रार्थिया के ससुराल की पैत्रक सम्पत्ति है, जो तीन पीढियो से उक्त सम्पत्ति में वशवाद के रूप में हस्तान्तरित चली आ रही है, वर्तमान में उक्त सम्पत्ति संयुक्त परिवार की सम्पत्ति है, जिस पर सभी वारिसान का हक व हिस्सा है तथा समस्त प्रार्थी व अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से शांतिपूर्वक अपने अपने हिस्से में निवास करते चले आ रहे है। एक पिता का कर्तव्य प्रार्थीगण द्वारा निभाया गया है, जो हर माता पिता का कर्ज है, परन्तु उक्त जिम्मेदारी को निभाने के लिये प्रार्थीगण द्वारा अपनी पैत्रक दुकान से कमाई गई राशि से ही पूरा किया गया है। प्रार्थीया तथा अप्रार्थी नं0 1 के बीच न्यायालयों में वाद चल रहे है, तथा प्रार्थीगण अप्रार्थी नं0 1 के साथ मिलकर ऐनकेन प्रकरण से प्रार्थीया को उक्त घर से बेदखल करना चाहते है, क्योकि अप्रार्थी नं0 1 द्वारा प्रार्थीया के साथ दुर्रव्यवहार किया जाता है, तथा प्रार्थीया नं0 2 हमेशा यह कहती है कि यदि तू मेरे घर से जा ताकि मै अपने बेटे की शादी किसी अन्य जगह करके दहेज में अच्छी खासी रकम प्राप्त कर सकूं प्रार्थीया अपने बच्चे के साथ रहकर शांतिपूर्वक निवास कर रही है, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया गया है, इस मद में झूठे तथ्य दर्ज किये गये है। प्रार्थीया के साथ सभी घर वालो ने घरेलू हिंसा कर घर से बेदखल करने पा आमादा थे प्रार्थीया द्वारा घरेलू हिंसा का मुकदमा किया हुआ है, वह

उपखण्ड अधिकारी

पूर्णतया सत्यता पर आधारित है, वर्तमान मे भी प्रार्थीया तथा अप्रार्थी नं0 1 प्रार्थीया के साथ निरन्तर घरेलू हिंसा कारित कर रहे है, प्रार्थीया अपने ससुराल के पैतृक मकान में स्वयं भी शांतिपूर्वक निवास करना चाहती है तथा समस्त परिवार के साथ संयुक्त परिवार के रूप में निवास कर अपना जीवन गुजारना चाहती है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया पर झूठे आरोप लगाकर अपने पैतृक मकान से बेदखल करना चाहती थी, प्रार्थीया के पास उक्त निवास स्थान के अलावा अन्य कोई मकान रहने हेतु नही है प्रार्थीगण छोटी–छोटी बातो पर प्रार्थीया से लडाई झगडा कर घर से बेदखल करना चाहते है, जिसकी रिपोर्ट प्रार्थीया द्वारा थाने में करवाई गई जिसमें दोनो पक्षो को पाबंद किया गया है। प्रार्थीगण की उक्त सम्पत्ति स्वयं अर्जित नही है, पुश्तैनी है, जो बाप दादा के जमाने से हस्तान्तरित होती चली आ रही है, प्रार्थीगण की संयुक्त पैतृक सम्पत्ति है तथा अप्रार्थी नं0 1 व 2 के बीच में काफी सारे न्यायालयो में विवाद चल रहा है, जिसमें कोई मिलीभगत का प्रश्न ही नही उठता है, इस मद में झूठे तथ्य दर्ज किये गये है। प्रार्थी नं0 1 नियमित अपने पैतृक दुकान नारूमल, सतूमल लाडपुरा मेन रोड पर मोबाईल व इलेक्ट्रीक की मशहूर दुकान है, जिस पर प्रार्थी नं0 1 व अप्रार्थी नं0 1 व 3 संयुक्त रूप से रोजगार करते है तथा अपना जीवन गुजारते है, प्रार्थीया को बिल्कुल नेगलेक्ट कर रखा है, तथा प्रार्थीगण स्वस्थ है, किसी भी प्रकार की बीमारी में लिप्त नहीं है, स्वयं अपने कार्य करने में सक्षम है, प्रार्थीया ने कभी प्रार्थीगण से कोई लडाई झगड़ा नहीं किया शांतिपूर्वक निवास कर रही है। प्रार्थीगण की उक्त रिहायशी मकान स्वयं अर्जित नहीं है, अपने पुश्तैनी जायदाद है, इस कारण प्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल नहीं किया जा सकता है, प्रार्थीया को परेशान करने की नियत से तथा प्रार्थीया को मकान से बेदखल करने के लिये प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी नं0 1 द्वारा पूर्ण नियोजित तरीके से षडयन्त्र करके झूठी विज्ञप्ति के माध्यम से बेदखली तहरीर जारी की है, जो पूर्ण रूप से झूठी है। प्रार्थीया द्वारा हमेशा प्रार्थीगण की सेवा सत्कार करने में कभी कोई कमी नही रखी है, तथा वर्तमान में भी प्रार्थीया प्रार्थीगण को अपने माता पिता ही मानकर सेवा करने को तत्पर रहती है, इसे विपरित प्रार्थीगण प्रार्थीया को घर से बेदखल करने के लिए अप्रार्थी नं0 1 के साथ मिलकर षडयन्त्र रचते रहते है, प्रार्थीया ने कभी भी प्रार्थीगण की सेवा के लिये मना नहीं किया है अपनी दादी सास हरदेवी गेरा की अंतिम सांस तक सेवा की है, जबकि प्रार्थीया नं0 2 व अप्रार्थी नं0 4 द्वारा प्रार्थीया की दादी सास की कोई सेवा नहीं की है तथा प्रार्थीया प्रार्थीगण की हर प्रकार की सेवा करने के लिये तत्पर रहती है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया के विरूद्ध चलने योग्य नहीं है क्योकि प्रार्थीया का उक्त पैतृक सम्पत्ति में रिहाईश के अलावा अन्य कोई सर छुपाने का आसरा नहीं है, इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीया नं0 2 के विरूद्ध खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का वाद विरूद्ध अप्रार्थी नं0 2 के विरूद्ध खारिज फरमाया जावे, तथा अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थीया से लडाई झगड़ा ना करे, तथा किसी भी प्रकार से अप्रार्थी नं0 1 से मिलिभगत करके प्रार्थीया को बेदखल नहीं करे, अन्य न्यायोचित सहायता जो भी हो दिलवाई जावे।

अप्रार्थी 3 व 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी नं0 3 व 4 भी उक्त परिसर में ही प्रार्थी के साथ प्रेम पूर्वक निवास करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के द्वारा अपने पुत्रों की पढाई लिखाई, शादी वगैरा करना आलेखित किया है जो कि हर माता पिता का अपनी संतानों के प्रति दायित्व होता है। अप्रार्थी नं0 1 व 2 का आपसी विवाद के कारण प्रार्थीगण घर में शांति नहीं रहती है। अप्रार्थी नं0 3 व 4 के द्वारा कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है जिससे घर में अशांति हो। अप्रार्थी नं0 3 व 4 प्रार्थीगण के परिवार के सदस्य है जो वर्तमान में प्रार्थीगण के साथ उनके परिसर में निवास करते चले आ रहे। प्रार्थीगण की इच्छानुसार ही विवाह के पश्चात से अप्रार्थी नं0 3 व 4 निवास कर रहे है। प्रार्थीगण वृद्धावस्था में

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

है तथा अक्सर बीमार रहते है यदि अप्रार्थी नं0 3 व 4 को प्रार्थीगण के द्वारा उक्त मकान से बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थीगण की सार सम्भाल करने मे परेशानिया उत्पन्न होगी। अप्रार्थी नं0 3 व 4 के द्वारा प्रार्थीगण के साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया है. अप्रार्थी नं0 3 व 4 को उक्त परिसर से यदि बेदखल कर दिया जाता है तो वर्तमान में अप्रार्थी नं0 3 व 4 के पास पर्याप्त रहने के लिये कोई अन्य परिसर उपलब्ध नहीं है जिसके चलते अप्रार्थी नं0 3 व 4 को परेशानियों का सामना करना पड सकता है। इसके पश्चात भी यदि माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश अप्रार्थी नं0 3 व 4 के विरूद्ध पारित किया जाता है उसे अप्रार्थी नं0 3 व 4 के द्वारा पालना की जावेगी। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी नं0 3 व 4 की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि विधि सम्मत उक्त प्रार्थना पत्र आदेश पारित किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के उपरांत पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। दौरानें बहस उभयपक्षकारान की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के साथ बदसलूकी, गाली गलौच, मकान से बेदखल करने की धमकी देने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अप्रार्थी नं0 2 की ओर से कथन किया है कि प्रार्थीया तथा अप्रार्थी नं0 1 के बीच न्यायालयों में वाद चल रहे है, तथा प्रार्थीगण अप्रार्थी नं0 1 के साथ मिलकर ऐनकेन प्रकरण से प्रार्थीया को उक्त घर से बेदखल करना चाहते है, अप्रार्थी नं0 2 के साथ सभी घर वालो ने घरेलू हिंसा कर घर से बेदखल करने पर आमादा है। अप्रार्थी नं0 2 द्वारा घरेलू हिंसा का मुकदमा किया हुआ है। अप्रार्थी कम 2 की ओर से न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कम संख्या 3 के बयान की प्रति पेश की है जिसके अवलोकन से अप्रार्थी नं0 2 के कथनों की पुष्टि होती है कि उभयपक्षकारान के मध्य अन्य न्यायालयो में प्रकरण जैरकार है। जिस कारण से प्रकरण पारिवारिक एवं घेरलू हिंसा से सम्बंधित होना प्रतीत होता है। जिस कारण से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही पाते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान ट्राफिक पुलिस ऑफिस के पीछे, छोगा की बावड़ी, मकान नं0 123 लाडपुरा जिला कोटा से बेदखल किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। परन्तु वरिष्ठ नागरिकों एवं माता पिता का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम की भावना को मद्देनजर रखते हुये न्यायहित में अप्रार्थीगण को पांबद किया जाता है कि वे भविष्य में प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगड़ा, गाली गलौच इत्यादि नही करें, उपरोक्त वर्णित मकान में प्रार्थी के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, प्रार्थीगण की सेवा सुश्रुषा करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक ....19/5/25.......... को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा